चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

संशोधित

पत्रांक : आर.ओ./2043 दिनांक : 02.11.2026

बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठयक्रम
शैक्षिक सत्र 2026–28 में सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानो के बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठयक्रम में अल्पसंख्यक कोटे में प्रवेश के लिए पात्रता एवं प्रवेश हेतु निर्देश

बी0एड0 (द्विवर्षीय) पाठयक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता निम्नवत् है :–

01. विज्ञान/वाणिज्य/सामाजिक–विज्ञान/मानविकी वर्ग के सामान्य एवं पिछडा वर्ग हेतु न्यूनतम 50 % (पचास प्रतिशत) अंको के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नोतकोत्तर उपाधि बी0ई0 एवं बी0टेक0 में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55 % (पचपन प्रतिशत) अंको के साथ अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी अर्ह हैं।

02. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बी0ई0 एवं बी0टेक0 में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी अर्ह हैं।

03. विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में छूट उत्तर प्रदेश के शासनादेश के अनुसार प्रदान की जाएगी।

IMPORTANT DATES:

01- Admission Confirmation on Portal & Admissions Closed in the Colleges **04-11-2026**

02- College will have to submit the hard copy and soft copy of the list of the admitted Students (till 28-10-2028) in the University to D.R. (Exam), B.Ed. Cell (Room No. 210) C.C.S. University, Meerut. **05-11-2026**

IMPORTANT NOTE:

01- Registered students can only take the admission in a college/institute for which the student has given any choice at the time of registration on University Portal & availbity of his / her name in the merit list of the Concered College.

02- College shall admit only those students who have already been registered and confirmed online on University Portal within stipulated time period.

03- No other students shall be allowed to take admission in any case.

04- Once the student has confirmed his / her admission in any college of his/her choice, the transfer in any other college will not be allowed in any circumstances.

विशेष : यदि कोई संस्थान उपरोक्त तिथियों के अनुक्रम में प्रवेश सूची विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराता है तो विश्वविद्यालय घोषित तिथि के उपरान्त विद्यार्थियों की कोई सूची नहीं लेगा और न ही उनकी परीक्षा भविष्य में करायी जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्थान की होगी।

02/11

कुलसचिव